न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री राजीव बडगूजर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/51/2023 प्रार्थना पत्र दायर दिनांक 22.06.2023

उनवान

1. मांगीलाल पिता कालु जाति जाट आयु वयस्क निवासी जाखड खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

——प्रार्थी

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार, तहसील कपासन, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)।

——अप्रार्थी

– : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0 टी0 एक्ट0 : –

निर्णय दिनांकः 18.06.2024

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी मौजा जाखड खेडा पटवार हल्का रोलिया तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी नं0 4 स्थित है। जो प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात स्थित है। प्रार्थना पत्र के साथ चालु जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस साथ संलग्न है।

यह कि प्रार्थी की आराजीयात पर आने जाने, खाली भरी बैलगाडी, मवेशी ट्रेक्टर लाने ले जाने हेतु प्रार्थी की आ0सं0 4 के दक्षिण पश्चिम दिशा तरफ बिलानाम सरकारी भूमि आ0सं0 16 में से होकर तथा प्रार्थी की आ0सं0 4 की दक्षिण दिशा तरफ बिलानाम सरकारी भूमि आ0सं0 16 मे से उत्तरी दिशा तरफ रास्ता पर होकर के करीब 20 फीट चौडा रास्ता बना हुआ था जिस पर प्रार्थी अपने बाप दादाओं के समय से उपयोग करते आ रहे है।

यह कि प्रार्थी की आराजी पर आने जाने, खाली भरी बैलगाडी लाने ले जाने हेतु एकमात्र कदिमानी रास्ता यही है इस रास्ते के अलावा प्रार्थी की आराजीयात पर आने जाने हेतु तथा खाली भरी बैलगाडी, ट्रेक्टर लाने हेतु ओर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस कारण से प्रार्थी की आराजी पर आने जाने एवं खाली भरी बैलगाडी ट्रेक्टर पशु आदि लाने ले जाने हेतु आराजी नं0 16 के उत्तरी पश्चिम दिशा पर से 20 फिट चौडा रास्ता जो मौके पर मौजुद है जिसको राजस्व रेकार्ड में रास्ता तरमिम किया जाने का आदेश फरमाया जाना आवश्यक है।

यह कि प्रार्थी अप्रार्थी को उक्त रास्ते के लिये डी0एल0सी0 दर या श्रीमान् के आदेशानुसार रास्ते की भूमि की क्षतिपूर्ति की राशि जमा कराने के लिये तैयार है।

यह कि अप्रार्थी द्वारा दिनांक 20.06.2023 को उक्त सरकारी भूमि रास्ता पर अन्य लोगो द्वारा अवरूद्ध किया गया इस कारण वाद हेतुक दिनांक 20.06.2023 को जारी होकर निरन्तर जारी है।

अन्त में प्रार्थना की कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर के प्रार्थी के खातेदारी के आ0सं0 4 के दक्षिणी पश्चिमी दिशा की पाली पर उत्त[illegible] 20 फीट चौडा रास्ता दिलाये जाने का आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.04 11:53:11 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1\. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी राजपेरोकार द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट को ही जवाब माना जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार कपासन से बिन्दुवार रिपोर्ट मंगवाई गई।

2\. प्रकरण में प्रार्थी व राजपेरोकार की बहस सुनी। प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी के खातेदार भूमि में आने जाने हेतु रास्ता दिये जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार कपासन द्वारा अपनी बहस में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए रास्ता दिये जाने में कोई आपत्ति नही होना बताया।

3\. हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार कपासन से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

1\. क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जमांबदी)

प्रकरण में तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

2\. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करावें।

तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है।

3\. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावें।

अप्रार्थी राजस्थान सरकार है।

4\. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें।

– पर्चा मौका दिनांक 04.01.2024 संलग्न है।

5\. सहमति नहीं होने की स्थिति मे लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई × चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका)

तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में आराजी नम्बर 16 के बीच में से वादी आ0 नं0 4 में आ जा रहा है जिसकी लम्बाई 100 मीटर, चौडाई 4 मीटर कुल 400 वर्गमीटर जिसकी डीएलसी 400 वर्ग मीटर × 85.25 = 34100/– रूपये बनते है जिसका दुगुना 68200/– रूपये है।

अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि मौजा जाखडखेडा पटवार हल्का रोलिया तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न0 4 है, में आने जाने, हेतु बिलानाम सरकारी भूमि आ0स0 16 में से होकर रास्ता चाहा गया है। रास्ता दिये जाने में तहसीलदार कपासन व राज्य कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है, व सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराये जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की जिस भूमि में से रास्ता चाहा है वह वर्तमान में बिलानाम बी. 2 दर्ज है। इस हेतु राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज–0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 से कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्तें कायमी बाबत् बिलानाम सरकार भूमि में से 30 फीट तक रास्ता दिया जाने का प्रावधान किया गया है। इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.04 11:53:11 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा जाखडखेडा पटवार हल्का रोलिया तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न0 4 में आने जाने हेतु विपक्षी की आ.न. 16 की मध्य से प्रस्तावित रास्ते का रकबा 400 वर्गमीटर है का जिसका राजस्व नक्शा ट्रेस व पर्चा मौका रिपोर्ट दिनांक 04.01. 2024 संलग्न है का रास्ता प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात पर पहुंच हेतु कायम किया जावें। इस प्रकार रास्ते मे आने वाली भूमि की राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज–0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के अनुसार डीएलसी दर 8525 रूपये प्रति एयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 400 वर्गमीटर भूमि की कुल मालियत 34100 रूपये का दुगुना 68200 रूपये अक्षरे अढसठ हजार दौ सौ रूपये राशि प्रार्थी से वसूल कर राजकोष में जरिये चालान क्षतिपूर्ति के रूप में जमा करवायी जावें। उक्त राशि राजकोष में जमा कराने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा, केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार कपासन को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 18.06.2024 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजीव बडगूजर)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.04 11:53:11 IST
Reason: SelfAttested